20 Rs. COURT FEE 20 Rs. INDIA TWENTY RUPEES

२०/४ ५८ ८/८ ९३/२ ९३/५८

In the Court of the circle officer; Dumka Subdivision and District Dumka.

Mutation Case No. 66 of 1996-97.

Srimati Bimla Devi Ghunghunwala ~~widow of~~ wife of late Bishnu Kumar Ghunghunwala resident of Dumka Town P.S. Dumka Town Subdivision and District Dumka ——— Petitioner

Copy of order sheet

1.11.96 आवेदिका श्रीमति बिमला देवी झुनझुनवाला पति स्व० विष्णु कुमार झुनझुनवाला सा० दुमका टाउन ने मौजा दुमका टाउन के खाता नं $\frac{18}{2}$ दाग नं० 1185 रकबा 00-02-05 (दो कट्ठा पांच धूर) एवं खाता नं $\frac{40}{30}$ दाग नं 776 रकबा 00-8-10 (आठ कट्ठा दस धूर) जमीन निबंधित वसीयत नामा (will) संख्या 38 दिनांक 11.1.89 द्वारा प्राप्त कर अपने नाम पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र दी है।

हल्का कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन मांगें तथा 16 आना रैयतों को दिनांक 22-11-96 के लिए नोटिस निर्गत करें।

Sd- Illegible
11/XI/96
अ० अ०

Barun 13/8

(2)

22.11.96 अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है देखा। नोटिश का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति दायर नहीं की गई है।

हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा दुमका टाउन के पंजी II में खाता नं० 18/2 दाग नं० 1185 रकबा 00-02-05 (दो कट्ठा पांच धूर) जमीन रामरेख दास मारवाड़ी पिता रामानन्द मारवाड़ी एवं खाता नं० 50/30 दाग नं० 776 रकबा 00-08-10 (आठ कट्ठा दस धूर) जमीन राधा देवी पति देवीलाल झुनझुनवाला के नाम से दर्ज है। उक्त दोनों खाता के भूमि का किस्म रसीदी है।

हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका श्रीमति विमला देवी झुनझुनवाला के स्वसुर स्व० देवी प्रसाद झुनझुनवाला ने रामरेखदास मारवाड़ी के पुत्र केदार नाथ हिम्मतसिंहका से निबंधित बिक्रय दलील संख्या 441 दिनांक 10-2-71 के द्वारा खाता नं० 18/2 दाग नं० 1185 रकबा 00-02-05 (दो कट्ठा पांच धूर) जमीन क्रय किया था। देवी प्रसाद झुनझुनवाला के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी राधा देवी ने अपने पुत्रवधु

अपने पुत्रवधु श्रीमति विमला देवी के नाम से इच्छा पत्र (will) लिख दिया है जिसका निबंधन संख्या 88/89 दिनांक 11.1.89 है इसका प्रोबेट केस 3/89 आदेश दिनांक 9.9.91 के द्वारा जिला न्यायाधीश से हो चुका है। इस इच्छा पत्र के आधार पर आवेदिका को मौजा कुमका राडिल के खाता नं $\frac{18}{2}$ दाग नं 1185 रकबा 00-02-05 (दो कट्ठा पांच धूर) एवं खाता नं $\frac{40}{30}$ दाग नं 776 मे रकबा 00-16-11 (सोलह कट्ठा ग्यारह धूर) जमीन प्राप्त है। परन्तु पंजी II में दाग नं 776 में कुल जमीन 00-08-10 (आठ कट्ठा दस धूर) ही दर्ज है। शेष जमीन 00-08-01 (आठ कट्ठा एक धूर) जमीन का हस्तांतरण पहले ही हो चुका है। जमीन का किस्म ~~नौकरी~~ वसीयी मोकरी है तथा हस्तांतरण योग्य है। यह नगर प्रबलिका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। आवेदित भूमि पर आवेदिका का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है। हल्का कर्मचारी ने नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया है

अतः निबंधित वसीयतनामा (will) संख्या 38 दिनांक 11.1.89 एवं प्रोबेट केस नं 3/89 दिनांक 9.9.91 तथा हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका श्रीमति

आवेदिका श्रीमति विमला देवी झुनझुनवाला पति स्व विष्णु कुमार झुनझुनवाला सा० दुमका टाउन के नाम से मौजा दुमका टाउन के खाता नं० 18/2 दाग नं० 1185 रकबा 00-02-05 (दो कट्ठा पाँच धूर) एवं खाता नं० 40/30 दाग नं० 776 रकबा 00-08-10 (आठ कट्ठा दस धूर) जमीन के नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। आवेदिका को वार्षिक लगान क्रमशः 10:00 (दस) रुपये एवं 10.00 (दस) रुपये प्लस अन्य सेस देय होगा।

नामान्तरण शुल्क 60.00 (साठ) रुपये जमा करने पर शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित

Sd/- Illegible
अं०प०प०

Sd/- Illegible
24/11/96
अंचल अधिकारी दुमका

1.97 नामांतरण शुल्क जमा की गई। शुद्धि पत्र निर्गत की जाती है।

Sd/- Illegible
9/1/97
अंचल अधिकारी
दुमका